


भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1866]

नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 25, 2016/श्रावण 3, 1938

No. 1866]

NEW DELHI, MONDAY, JULY 25, 2016/SRAVANA 3, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2016

का.आ. 2523 (अ).— बिहार राज्य में नीलगाय और जंगली सुअर को पीड़क जंतु घोषित करने वाली राजपत्र अधिसूचना का.आ. 3318 (अ) दिनांक 1 दिसंबर, 2015 में अधिसूचना के हिंदी रूपांतरण में अधिसूचना के पृष्ठ 3, पैरा II, क्रम सं. I में लिखे गए जिला का नाम 'मुजफ्फरनगर' को 'मुजफ्फरपुर' के रूप में पढ़ा जाएगा।

राजपत्र अधिसूचना की शेष विषय वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

[फा.सं. 1-64/2015-डब्ल्यूएल- I]

एस. के. खंडूरी, वन महानिरीक्षक (वन्यजीव)

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

CORRIGENDUM

New Delhi, the 5th July, 2016

S.O. 2523(E).— In the Gazette Notification S.O. 3318(E) dated 1st December, 2015 declaring Nilgai and Wild Pig as vermin in the State of Bihar, the district name written as 'मुजफ्फरनगर' in page 3, para II, S.No. 1 of the notification shall be read as 'मुजफ्फरपुर' in Hindi version of the notification.

There shall be no change in the rest of the content of the Gazette Notification.

[F. No. 1-64/2015-WL-I]

S. K. KHANDURI, Inspector General of Forests (WL)